कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–02
दिनांक : 28 जुलाई, 2011

अधिसूचना

मानविकी संकाय की संकाय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 02–5–2011 में बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत अधोलिखित निर्णय लिया –

''शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक– 22.12.2010 में लिये गये निर्णय के अनुसार बी0ए0 स्तर पर एक विषय के रूम में 'शारीरिक शिक्षा' विषय चलाये जाने के बिन्दु पर विचार कर निर्णय लिया गया कि यदि भौतिक संसाधन एवं अध्यापक उपलब्ध हों तो 50 सीट निर्धारित करते हुए सहमति प्रदान की जा सकती है।''

संकाय समिति के उक्त निर्णय को विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 04–7–2011 में बिन्दु संख्या–4 के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद ने विचार कर ''बी0ए0 स्तर पर शारीरिक शिक्षा एक विषय के रूप में 50 सीट की सीमा के अन्तर्गत अध्ययन–अध्यापन की अनुमति प्रदान किया। राजकीय/अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों में जहाँ प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा का पद सृजित है और अध्यापक कार्यरत है, वहाँ 30 सीट की सीमा तक अध्ययन–अध्यापन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।''विद्यापरिषद के इस निर्णय को कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 06–7–2011 में अनुमोदित किया।

अतः प्राधिकारी समितियों के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

पत्रांक : कु0स0–समिति/2057/विद्या परि0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति जी – सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
4. निदेशक एन0टी0पी0सी0 परिसर, (म0गां0 काशी विद्यापीठ) शक्ति नगर, सोनभद्र।
5. परीक्षा नियंत्रक (परीक्षा सामान्य/गोपनीय)।
6. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, चन्दौली, वाराणसी, बलिया, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर एवं मिर्जापुर।
7. सहायक कुलसचिव सम्बद्धता को इस आशय से कि इस सूचना से अपने स्तर से भी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो को अवगत करा दें।
8. कायलय प्रभारी, शारीरिक शिक्षा विभाग।
9. श्री विनोद कुमार, प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि इसे विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कर दें।
10. सम्बन्धित पत्रावली।

प्र. (कुलसचिव)